सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी—अलवर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2022 / 165 दर्ज तिथिः—04.07.2022

1. प्रहलाद पुत्र दाम्या उम्र 35 साल
2. रतनलाल पुत्र दाम्या उम्र 53 साल
3. सुरेन्द्र पुत्र रामकरण उम्र 30 साल

समस्त जातियान मीना समस्त निवासीयान सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. कन्हैया पुत्र पांचू उम्र 50 साल
2. रोहिताश पुत्र कन्हैया उम्र 25 साल
3. लक्ष्मा पत्नी कन्हैया उम्र 48 साल

समस्त जातियान मीना समस्त निवासीयान सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....असल अप्रार्थीगण

1. छोटेलाल पुत्र दाम्या उम्र 45 साल
2. मक्खन पुत्र दाम्या उम्र 35 साल
3. मनफूली पत्नी दाम्या उम्र 65 साल
4. रकमा पत्नी रामकरण उम्र 46 साल
5. कमली पत्नी रामकरण उम्र 50 साल
6. विजेन्द्र पुत्र रामकरण उम्र 26 साल
7. सन्तरा पुत्री रामकरण उम्र 40 साल
8. सुनिता पुत्री रामकरण उम्र 39 साल
9. मनीषा पुत्री रामकरण उम्र 38 साल

समस्त जातियान मीना समस्त निवासीयान सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....तरतीबी प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

.....तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.29 19:23:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रहलाद बनाम कन्हैया

2022/165

निर्णय दिनांक 29.05.2023

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री के. के. शर्मा–।।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री मोठू राम मीणा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णय:–

निर्णय तिथिः–29.05.2023

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त आराजी से असल अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। उक्त आराजी पर काबिज प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को बेदखल कर असल अप्रार्थी मौके पर कब्जा व निर्माण करने हेतु आमदा है। अगर उक्त आराजी पर काबिज प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को बेदखल कर असल अप्रार्थी द्वारा मौके पर कब्जा व निर्माण कर लिया तो प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर असल अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर पर खातेदार तथा मौके पर काबिज प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को बेदखल नही कर मौके पर कब्जा व निर्माण नही कर करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी का आवासीय मकान आराजी हाल खसरा संख्या 804/8.18 है0 में बना हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 है0 पर अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से अप्रार्थीगण का मकान को हटवाना चाहते है। अप्रार्थीण का आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 है0 से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। उसी प्रकार प्रार्थीगण का आराजी हाल खसरा संख्या 804/8.18 है0 पर बने अप्रार्थीगण के मकान से कोई समबन्ध सरोकार नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

3. पत्रावली पर बहस वकुलाय सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर असल अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर पर खातेदार तथा मौके पर काबिज प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को बेदखल नही कर मौके पर कब्जा व निर्माण नही कर करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब–प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आराजी हाल खसरा संख्या 804/8.18 है0 पर बने अप्रार्थीगण के मकान से कोई समबन्ध सरोकार नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.29 19:23:53 IST
Reason: SelfAttested

4. पत्रावली पर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मुताबिक जमाबंदी संवत्–2076–79 वाके ग्राम सीलीबावडी के खाता संख्या 154 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 है0 प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार असल अप्रार्थीगण का उक्त प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। उसी प्रकार मुताबिक जमाबंदी संवत्–2076–79 वाके ग्राम सीलीबावडी के खाता संख्या 01 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 804 रकबा 8.18 है0 सिवायचक सरकारी भूमि है। इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त सिवायचक सरकारी भूमि आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है।

5. प्रकरण में वकुलाय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थना पत्र संयुक्त आराजी पर तकास्मा के दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अनुतोष बाबत प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है जोकि इस प्रकार है–

> ***212. Provision for injunction and appointment of a receiver—***
> ***(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise —***
> ***(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or***
> ***(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of Justice, the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.***
>
> ***(2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under sub-section (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceedings is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be.***

6. उक्त विधिक प्रावधान के साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 39 के प्रासंगिक नियमों का अवलोकन व विश्लेषण प्रकरण में किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 39 के प्रासंगिक नियमों का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> **ORDER XXXIX TEMPORARY INJUNCTIONS AND INTERLOCUTORY ORDERS**
> **Temporary injunctions**
> **1. Cases in which temporary injunction may be granted. —** *Where in any suit it is proved by affidavit or otherwise—*
> *(a) that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree, or*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.29 19:23:53 IST
Reason: SelfAttested

(b) that the defendant threatens, or intends, to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditors,
(c) that the defendant threatens to dispossess, the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit,

the Court may by order grant a temporary injunction to restrain such act, or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property or dispossession of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit as the Court thinks fit, until the disposal of the suit or until further orders.

2. Injunction to restrain repetition or continuance of breach.— *(1) In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may, at any time after the commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the Court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained, of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right.*

(2) The Court may by order grant such injunction, on such terms as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security, or otherwise, as the Court thinks fit.

2A. Consequence of disobedience or breach of injunction.— *(1) In the case of disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1 or rule 2 or breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made, the Court granting the injunction or making the order, or any Court to which the suit or proceeding is transferred, may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached, and may also order such person to be detained in the civil prison for a term not exceeding three months, unless in the meantime the Court directs his release.*

(2) No attachment made under this rule shall remain in force for more than one year, at the end of which time, if the disobedience or breach continues, the property attached may be sold and out of the proceeds, the Court may award such compensation as it thinks fit to the injured party and shall pay the balance, if any, to the party entitled thereto.

7. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 आदेश 39 के नियम–1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त नियम के द्वारा न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के संभावित प्रकरणों के संबंध में आवश्यक स्थितियों के बारे में निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 आदेश 39 के नियम–2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त नियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.29 19:23:53 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अस्थाई निषेधाज्ञा के उल्लंघन की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में प्रावधान व प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। इसके साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 आदेश 39 के नियम–2ए के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त नियम के द्वारा न्यायालय को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के उल्लंघन होने पर प्रक्रिया व दण्डात्मक प्रावधान बनाये गये हैं।

8. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु हैं जिनका प्रकरण में विश्लेषण इस प्रकार हैः–

    1. ***स्वामित्व एवं कब्जाः–*** किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व तथा कब्जा होना प्रथम शर्त है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर शामिल दस्तावेज जमाबंदी संवत् जमाबन्दी संवत 2076–2079 वाकै ग्राम सीलीबावडी तहसील थानागाजी से आराजी हाल आराजी खसरा संख्या 806/1.01 है0 पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही प्रार्थी व अप्रार्थी मुताबिक हिस्सा संयुक्त आराजी पर मौके पर काबिज काश्त है। इस प्रकार संयुक्त आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व तथा साबित होता है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज होने पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है। अतः प्रथम शर्त प्रार्थी के पक्ष में पुष्ट होती है।

    2. ***सुविधा का संतुलनः–*** किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण में संयुक्त आराजी पर प्रार्थी की खातेदारी आराजी होने तथा प्रार्थी का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखता है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी प्रार्थी के पक्ष में पुष्ट होती है।

    3. ***अपूरणीय क्षतिः–*** किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना तृतीय शर्त है। प्रकरण में प्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि असल अप्रार्थी उक्त संयुक्त आराजी से प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा कर निर्माण करने की फिराक में है। चूँकि उक्त आराजी प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की संयुक्त सह–खातेदारी की आराजी है तथा तथा असल अप्रार्थी का उक्त आराजी हाल खसरा संख्या–806/1.01 है0 से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। साथ ही इन कानूनी प्रावधानों से इतर अगर किसी दीगर व्यक्ति द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की संयुक्त सह–खातेदारी की आराजी पर कब्जेकाश्त तथा आमद–रफत में मजाहमत पैदा की तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को फसल करने में हुई असुविधा से अपूरणीय क्षति/हानि अवश्यंभावी है।

    इसी प्रकार असल अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर पर खातेदार तथा मौके पर काबिज प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को बेदखल कर मौके पर कब्जा व निर्माण करने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.29 19:23:53 IST
Reason: SelfAttested

से प्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति/हानि होने का प्रकरण प्रतीत होने से तृतीय शर्त भी पुष्ट होती है।

9. अतः प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अभिकथित अभिवचनों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य/दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं करने के कारण आराजी खसरा नम्बर 804 रकबा 8.18 है0 सिवायचक सरकारी भूमि पर विरूद्ध असल अप्रार्थीगण अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु ठोस आधार प्रतीत नहीं होते है। साथ ही असल अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम सीलीबावडी तहसील थानागाजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नही होने के कारण खातेदार तथा मौके पर काबिज प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को बेदखल नही कर मौके पर कब्जा व निर्माण नही करने हेतु उपरोक्त तीनों शर्तो के पुष्ट होने के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कानूनी बिन्दुओं को पुष्ट करने के आधार पर ताफैसल दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा असल अप्रार्थी को ताफैसल दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा संख्या 804/8.18 है0 पर कोई अनुतोष नही देते हुये प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी हाल आराजी खसरा संख्या 806/1.01 है0 वाके ग्राम सीलीबावडी तहसील थानागाजी पर प्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनायें बेदखल नही करने व प्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त, आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने तथा नवीन निर्माण नही करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 29.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.29 19:23:53 IST
Reason: SelfAttested